अपीलीय अधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

अपील / रेफरेंस / विविध प्रार्थना पत्र संख्या 350/26 (सीआईएस 350/26)
श्रीमती हेमलता शर्मा व अन्य बनाम जविप्रा

ब हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रेफरेंस सं. 350 / 2026

श्रीमती हेमलता शर्मा व अन्य बनाम जविप्रा व अन्य

दिनांक 14.07.2026

रेफरेंसकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री एस एस सोलंकी उपस्थित। जविप्रा की ओर से अधिवक्ता श्री युधिष्ठर सहारण उपस्थित।

बहस रेफरेंस सुनी गई। पत्रावली व विधि के प्रावधानों का अवलोकन व मनन किया गया।

रेफरेंसकर्ता द्वारा हस्तगत रेफरेंस के माध्यम से निम्न प्रकार अनुतोष चाहा गया है।

'' अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के भूखण्ड संख्या– ए– 24, महावीर नगर, टोंक रोड जयपुर पर निर्मित आवासीय फ्लेट्स दा राईजिंगसन बिल्डिंग के अनुमोदित स्ट्रील्ट, जी प्लस 4 के उपर पांचवी मंजिल पर किसी प्रकार का कोई अवैध व अनाधिकृत निर्माण अनुमोदित भवन निर्माण स्वीकृति व मानचित्र के विपरीत नहीं होने देवे। तथा जो निर्माण अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा किया जा रहा है उसे अविलम्ब रोकें एवं किये गये अवैध व अनाधिकृत निर्माण को जो अनुमोदित योजना प्लान के विपरीत है को हटाया जावे। अप्रार्थी संख्या 2 अथवा 3 लगायत 5 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि छत पर निर्माण किये जाने के अधिकार नहीं होने के आधार पर किसी तरह की कोई निर्माण की स्वीकृति अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5. जारी नहीं करे एवं अवैध व अनाधिकृत निर्माण को हटाये जाने अथवा ध्वस्त किये जाने एवं सील किये जाने की कार्यवाही की जाती है तो उसका समस्त हर्जा खर्चा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 से वसूल किया जाये। ऐसा नहीं करने की स्थिति में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध व अनाधिकृत निर्माण हटाये जाने का हर्जा खर्चा अप्रार्थी संख्या 2 से वसूल किया जावे।''

जविप्रा द्वारा निम्न प्रकार जवाब रेफरेंस प्रस्तुत किया गया है।

'' अप्रार्थी संख्या 1 के यहां शिकायत प्राप्त होने पर पूर्णतया जांच पड़ताल करने के उपरान्त मौके पर बतायेनुसार ज्योत्सना राठी व अन्य, मैसर्स के.डी बिल्डर्स को जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 32, 33 का नोटिस दिनांक 2906.2026 को जारी किया गया। क्योकि प्रवर्तन शाख की तकनिकी टीम से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आप द्वारा महावीर नगर के भूखण्ड संख्या 24 में अनुमोदित मानचित्र के विपरीत स्टील्ट प्लस ग्राउण्ड प्लस 4 के उपर, 5 फ्लोर के उपर ऑपन टेरिस के स्थान 24 बाई 25 फिट में पेन्ट हाउस 5 बाई 9 फीट में किचन व 5 बाई 12 फीट में टॉयलेट का निर्माण कर फिनिशिंग कार्य किया जा रहा है। उक्त निर्माण वॉयलेशन की श्रेणी में आता है जो अवैध है तथा प्रवर्तन शाखा की तकनीकी टीम से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ज्योत्सना राठी द्वारा महावीर नगर के भूखण्ड संख्या ए–24 में अनुमोदित मानचित्र

अपीलीय अधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

अपील / रेफरेंस / विविध प्रार्थना पत्र संख्या 350/26 (सीआईएस 350/26)
श्रीमती हेमलता शर्मा बनाम जविप्रा

क्रम हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

के विपरीत स्टील्ट प्लस ग्राउण्ड प्लस 4 के उपर पांचवी फ्लोर पर ऑपन टैरिस के स्थान पर 24 बाई 25 फिट में पेन्ट हाउस 5 बाई 9 फीट में किचन व 5 बाई 12 फिट में टॉयलेट का निर्माण कर फिनिशिंग कार्य किया जा रहा है। उक्त निर्माण वॉयलेशन की श्रेणी में आता है।

जविप्रा के यहां शिकायत प्राप्त होने पर पूर्णतया जांच पड़ताल करने के उपरान्त जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 32. 33 का नोटिस जारी कर विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लायी जा रही है तथा जविप्रा अवैध निर्माण के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है।''

सुना गया।

यह अधिकरण हस्तगत रेफरेंस को निम्न प्रकार निस्तारित किया जाना न्यायसंगत समझता है।

आदेश

अप्रार्थी पक्ष को धारा 32, 33 जविप्रा एक्ट का नोटिस जारी किया गया है। जविप्रा द्वारा इस नोटिस पर विधि अनुसार कार्यवाही की जाये। रेफरेंस का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।